

आयुक्त उपनिवेशन,
बीकानेर।

विषय :- इंदिरा गांधी नहर के किनारे वन विभाग को
भूमि आवंटन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार लेख है कि इंदिरा गांधी नहर की मुख्य
नहर के किनारे वन विभाग को का विचार एवं वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटन
करने हेतु वन विभाग के अधिकारी एवं उपनिवेशन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप
से भूमि का निर्धारित सीमा व शर्तों, जो निम्नांकित हैं, में चयन कर एक माह में आवंटन
हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके :-
अनिवार्य सीमा :

1. मुख्य केनाल से	200 मीटर बायें	100 मीटर दायें
2. ब्रान्च नहर से	100 " "	50 " "
3. वितरिका से	50 " "	50 " "
4. गार्डनर इत्यादि	25 " "	25 " "

अनिवार्य सीमा के अतिरिक्त :

1. मुख्य नहर	1000 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
2. ब्रान्च नहर	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
3. वितरिका	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
4. गार्डनर इत्यादि	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें

इस संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :-

- वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नहरों से प्रस्तावित अनिवार्य दूरी की सीमा
में स्थित राजकीय कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि को आरक्षित करके आवंटन
उपनिवेशन विभाग, वन विभाग को करेगा। इन परिदृश्यों में व्यक्तिगत
भूमि के संबंध में 2 बीघा अतिरिक्त भूमि के मामले में। प्रीघा अतिरिक्त भूमि
तथा एक बीघा अतिरिक्त भूमि के मामले में एक बीघा अतिरिक्त भूमि गांधी के
आवास में तथा दूरी में अधिधारण की संरक्षित केवल अन्य जगह भूमि दिये
जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जो भूमि
इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की होयी वह भूमि वन विभाग
इस विभाग से नियमानुसार प्राप्त करेगा।
- अनिवार्य भूमि की प्रस्तावित दूरी की सीमा से अतिरिक्त भूमि की
प्रस्तावित दूरी की सीमा तक केवल अनकमाण्ड भूमि उपनिवेशन विभाग,
वन विभाग को आवंटित करेगा। इन परिदृश्यों में निजी भूमि/राजकीय
कमाण्ड भूमि वन विभाग द्वारा नहीं ली जायेगी।
- अनिवार्य सीमा में स्थित परिदृश्यों में उपरोक्तानुसार राजकीय भूमि
इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की भूमि को छोड़कर वन विभाग
के लिए आरक्षित की जाती है। उपनिवेशन आयुक्त द्वारा उपरोक्तानुसार
आरक्षित किये गये क्षेत्र में राजकीय भूमि का वन विभागों को आवंटन नहीं
किया जायेगा। दूसरे शब्दों में अनिवार्य परदृष्टी में कमाण्ड व अनकमाण्ड
भूमिों प्रकार की भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जावेगा। लेकिन

अतिरिक्त भूमि की पट्टी में निम्न अनुक्रमानुसार भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जावेगा। इस पट्टी में कमान्ड भूमि का आवंटन कृषकों को करने में रोक नहीं होगी।

4. वन विभाग व उपनिवेश विभाग के अधिकारीगण इच्छितियों में आयी आरक्षित भूमि का संयुक्त निरीक्षण एक माह में पूर्ण करें। जिसके फलस्वरूप वन विभाग भूमि आवंटन के निश्चित प्रस्ताव आयुक्त उपनिवेश विभाग को भेजेगा। तत्पश्चात् उपनिवेश आयुक्त राज्य सरकार को निश्चित भूमि के आवंटन की सिफारिश करेगा। सिफारिश करने पर राज्य सरकार द्वारा अस्थायी रूप से वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य हेतु वन विभाग को भूमि का आवंटन करेगी, जिसमें यह भी शर्त होगी कि राज्य सरकार अन्य विकास कार्य हेतु आवंटित भूमि वन विभाग से कभी भी वापस ले सकेगी तथा उस पर केन्द्रीय वन अधिनियम, वन विभाग लागू नहीं करावेगा।

5. आयुक्त, उपनिवेश एवं वन विभाग के अधिकृत अधिकारी जिसका यह तब करेंगे कि सर्वप्रथम किस स्थानों पर भूमि के आवंटन एवं सर्वे की कार्यवाही कितने चरणों में कब कब व किस प्रकार आरंभ की जाये ताकि जहाँ अधिक आवश्यकता हो वहाँ सर्वे व आवंटन का कार्य धरियता से हाथ में लिया जा सके।

6. उ स्क्वैर चैनल के आस-पास तथा अनुसूचित भूमि व सड़कों के दोनों ओर की भूमि वन विभाग को वन विकास कार्य व वृक्षारोपण हेतु आवंटन करने के संबंध में यह महसूस किया गया कि इस संबंध में वन विभाग ने अपर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है। वन विभाग पूर्ण व निश्चित विवरण की रचना उपनिवेश विभाग को उपलब्ध करावेगा, जिससे उस पर निश्चित निर्णय लिया जा सके।

7. इस विभाग के पत्र क्र. प. 3154/राज/उप/87 दिनांक 4.4.88 के अतिरिक्त में यह आदेश जारी किया जाता है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव